न्यायालय न्यायनिर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — जगदीश प्रसाद गौड़

मुकदमा नम्बर : 58/2022 — आर.ए.एस

जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

1. श्री रामनिवास रणवां पुत्र श्री फुलचन्द रणवां, मै0 रणवां डिपार्टमेन्टल स्टोर, घुमचक्कर सीकर रोड़, नवलगढ, झुन्झुनू।
2. दिनेश दिनेश सर्राफ पुत्र श्री विश्वनाथ सर्राफ, मै0 सर्राफ टी लिमिटेड, नवलगढ, झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

–निर्णय– दिनांक : 24.01.2023

पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि उसकी घुमचक्कर सीकर रोड़, नवलगढ झुन्झुनू में मै0 रणवां डिपार्टमेन्टल स्टोर के नाम फर्म है। जहां वह किराणा तथा खाद्य सामग्री आदि का बेचान करता है। उसकी फर्म से चाय (सर्राफ) का सैम्पल लिया गया था जो कि मिसब्रान्डेड पाया गया है। यह चाय (सर्राफ) उसने पैक्ड ही सप्लायर से खरीदा था तथा पैक्ड ही बेचान करता है। अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 से चाय (सर्राफ) खरीद का पक्का बिल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 का कथन है कि फूड सैम्पलिंग में पता पूरा ना होने के कारण सैम्पल मिस ब्रान्ड हुआ है। इस गलती का शीघ्र ही सुधार लिया जायेगा।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./2692/एक्ट/2022/2724 दिनांक 07.09.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (सर्राफ) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 से पैकिंग चाय जरिये पक्के बिल खरीदी थी। अतः धारा 26 की उपधारा (2) (II) का दोषी नही माना जा स[illegible]वेदक संख्या 2 अपनी फर्म मै0 सर्राफ टी लिमिटेड नवलगढ में स्वयं चाय की पै[illegible]कर बेचान करता है तथा स्वयं फर्म मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ चाय (सर्राफ) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 11:00:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री दिनेश सर्राफ पुत्र श्री विश्वनाथ सर्राफ, मै0 सर्राफ टी लिमिटेड, नवलगढ, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 15,000/— पन्द्रह हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

(जगदीश प्रसाद गौड़) झुन्झुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

(जगदीश प्रसाद गौड़) झुन्झुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 11:00:43 IST
Reason: SelfAttested